प्रेषक,

मुख्य विकास अधिकारी,
वाराणसी।

e-mail

सेवा में,

1– जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी।
2– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3– उपकुल सचिव (विकास), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
4– कुल सचिव, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी।
5– वित्त अधिकारी/उपकुल सचिव, महात्मा गांधी काशीविद्यापीठ, वाराणसी।
6– रजिस्ट्रार, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
7– संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा (पूर्वी क्षेत्र), वाराणसी।
8– संयुक्त निदेशक/प्रधानाचार्य, आई0टी0आई0, चौकाघाट, वाराणसी।

पत्रांक 87–98/पि0व0क0/छात्रवृत्ति/2020–21, दिनांक 21–07–2020

विषय – <u>वित्तीय वर्ष 2020–21 से पूर्वदशम् (कक्षा 09–10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आधार नम्बर अपडेट किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 507, दिनांक 16 जुलाई, 2020 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 से उपर्युक्त योजना से आच्छादित होने वाले समस्त छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में आधार बेस्ड भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी है। इस हेतु छात्र–छात्राओं के आधार नम्बर से लिंक/सीडेड बैंक खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अंतरित की जानी प्रस्तावित है इसलिये छात्र–छात्राओं द्वारा भरे आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम व लिंग तथा जन्म तिथि का सत्यापन होने के पश्चात् आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के उपरान्त छात्र द्वारा आवेदन पत्र आनलाइन सबमिट किया जा सकेगा।

उपरोक्त प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु छात्रों के स्तर पर निम्न कार्यवाही समयान्तर्गत किया जाना आवश्यक होगा–

1– सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए, जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए।
2– जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, वे आधार नम्बर को अपने मोबाइल नम्बर एवं राष्ट्रीयकृत/निजी/ग्रामीण बैंकों में खुले खातों से लिंक/सीड करा लेना चाहिए।
3– हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण–पत्र में अपना नाम तथा अपने माता–पिता/पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता–पिता/पति का नाम अपडेट करा लेना चाहिए।
4– हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण–पत्र में जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लेना चाहिए।
5– आधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है तो उसको भी शुद्ध करा लेना चाहिए।

ज्ञातव्य है कि प्रस्तुत वित्तीय वर्ष हेतु शासन के उच्च स्तर से निर्गत समय–सारिणी के अनुसार पूर्वदशम्/दशमोत्तर कक्षाओं के पात्र छात्र–छात्राओं को योजनान्तर्गत क्रमशः दिनांक 24 जुलाई, 2020 एवं 01 अगस्त, 2020 से आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी है। अतः उपरोक्त के क्रम में अपेक्षित है कि आपके पर्यवेक्षणाधीन संचालित शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्यों/प्राचार्यों के माध्यम से योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले अर्ह छात्रों के बीच उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का समयान्तर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें, ताकि शासन की उपर्युक्त महत्वाकांक्षी/जनोपयोगी योजना का लाभ अधिकाधिक छात्रों को प्राप्त कराया जा सके।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(मधुसूदन हुल्गी)
मुख्य विकास अधिकारी,
वाराणसी।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

कुलसचिव कार्यालय (विकास)

पत्रांकःआर.–डेव./(सा0जा0/अ0जा0/ज0जा0/पि0वर्ग/द0छात्रवृत्ति/2020–21/15778 दिनांकः 18.08.2020

<u>*अतिमहत्वपूर्ण*</u>

प्रतिलिपि निम्न को इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी के पत्र दिनांक 21.07.2020 व 14.08.2020 को जनपदीय एन0आई0सी. में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिये आधार नम्बर को उपरोक्तानुसार **(बिन्दु संख्या 1 से 5) छात्र अपना नाम व जन्मतिथि हाईस्कूल <u>अंकपत्र/प्रमाण–पत्र</u> के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपडेट** करायें इसके लिये छात्र/छात्राओं के संबंधित विभाग अतिमहत्वपूर्ण संज्ञान लेते हुये छात्र/छात्राओं के बीच प्रचार प्रसार करें व उपरोक्त सूचना को सूचना पटल के माध्यम से भी तत्काल अवगत् करायें।

1. समस्त निदेशक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।
2. समस्त संकाय प्रमुख, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।
3. समस्त समन्वयक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।
5. प्राचार्या, महिला महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।
6. सहायक कुलसचिव, राजीव गाँधी साऊथ कैम्पस, बरकच्छा, मिर्जापुर।
7. समन्वयक, संगणक केन्द्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना को बी.एच.यू. वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड करें।

राजेश कुमार श्रीवास्तव
सहायक कुलसचिव (विकास)
18/8/20